न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 3/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 6.1.2020
किस्म अपीलः धारा 39 राज0 भूमि विकास अधिनियम

उनवान

लटूरलाल आत्मज जगनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम कापरेन स्टेशन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सी0ए0डी0 कोटा।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन असांरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 18.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 49/प्रार्थना पत्र/09 बउनवान लटूरलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सी0ए0डी0 कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 15.4.2019 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा मे धारा 39 राज0 भूमि विकास अधिनियम अन्तर्गत पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रकरण सं0 3/08 लटूरलाल बनाम सरकार मे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.7.2009 को निर्णय पारित कर पक्षकारान की साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय की पालना मे बिना साक्ष्य व मौका रिपोर्ट प्राप्त किये तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही जेरअपील निर्णय दिनांक 15.4.2019 पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया कि अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे की ग्राम बालापुरा स्थित आराजी ख0 नं0 33 रकबा 8 बीधा 17 बिस्वा को कैचमेंट कार्य हेतु केचमेंट विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया था। बाद केचमेंट कार्य नवीन ख0 नं0 731 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा ग्राम बालापुरा व ख0 नं0 408 रकबा 3 बीधा 12 बिस्वा ग्राम गर्जनी कुल 2 किता रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा आराजी रेकार्ड अनुसार अपीलांट को प्रदान की गई। जिसकी पैमाईश कराने पर मौके पर 7 बीघा 10 बिस्वा बाद कटोती 12 बिस्वा प्रदान की जो पूर्व रिकार्ड के मुकाबले 15 बिस्वा भूमि कम दी गयी। जिसकी दुरूस्ती हेतु सन् 2000 से ही नियमित रूप से अपीलार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता चला आ रहा है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट 26.11.2000, 20.7.04 अनुसार भी मौके पर 15 बिस्वा भूमि कम पायी गई इसके बावजूद भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नही दिया कि तहसीलदार की रिपोर्ट 25.4.07 व 21.4.01 मे भी आराजी मौके पर 15 बिस्वा कम है। प्रभावशाली लोगो लाभ पहुंचाने

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

की गरज से केचमेंट विभाग ने रेकार्ड मे तो आराजी पूर्ण कर दी किन्तु मौके पर कम दी गयी जिसको स्वयं रेस्पो0 ने स्वीकार किया किन्तु फिर भी दिनांक 14.2.2006 को प्रार्थना पत्र खारिज कर देने पर माननीय न्यायालय मे अपील सं0 3/08 प्रस्तुत की जिसको माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27.7.2009 को निर्देशों के साथ रिमांड किया गया। उक्त रिमांड निर्देशों की पालना किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार एंव साक्ष्य के बाद सेटलमेंट नवीन ख0 नं0 58 रकबा 1.28 है0 ख0 नं0 66 रकबा 0.08 है0 कुल 2 किता रकबा 1.36 है0 कायम किये गये जिसको आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट का रकबा बिना किसी आधार व आदेश के कम किया गया है। सेटलमेंट कार्य का अमल अथवा केचमेन्ट कार्य का अमल रिकार्ड मे नही होने मे अपीलांट की कोई गलती नही है। सार्वभौमिक सत्य है कि किसी गांव का रकबा न तो बढता है और न ही घटता है ऐसी स्थिति मे किसी न किसी खातेदार का रकबा केचमेंट विभाग द्वारा बढाया गया है। उक्त लापरवाही के लिये अपीलांट को दोषी नही माना जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट का रकबा 15 बिस्वा मौके पर पूर्ण किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलांट का रकबा रिकार्ड मे तो पूर्ण कर दिया किन्तु मौके पर 15 बिस्वा रकबा कम है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमशः 26.11.2000, 20.7.04,तथा 25.4.07 व 21.4.01 से हो जाती है। बहस मे आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.7.2009 की पालना मे बिना साक्ष्य व मौका रिपोर्ट प्राप्त किये तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही जेरअपील निर्णय दिनांक 15.4.2019 पारित करने मे त्रुटि की है। अधीस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि ग्राम का रकबा न तो बढता है तथा ना ही घटता है ऐसी स्थिति मे किसी खातेदार का रकबा बढाया गया है। सेटलमेंट अथवा केचमेंट कार्य का रिकार्ड मे अमल नही होने के लिये अपीलांट का दोष नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे तर्क पेश किये कि विवादित भूमि मे भूमि सुधार केंचमेंट कार्य किये जाने के पश्चात नियमानुसार 12 बिस्वा भूमि की कटौती की जाकर अपीलांट को संभलाई गई जो मौके पर 8 बीधा 05 बिस्वा उपलब्ध है ख0 नं0 27 सिवायचक भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण था तथा भूमि कमाण्ड क्षेत्र मे होने से बिना नियमानुसार आवंटन के उसे अपीलार्थी को संभलाया नही जा सकता। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील खारिज योग्य है।

6. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। जिससे प्रकट होता है कि वर्ष 1997 मे प्रार्थी की भूमि ख0 नं0 33 मे विकास कार्य किया जाकर सामान्य कटौती 12 बिस्वा की जाकर नवीन ख0 नं0 731 रकबा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बालापुरा तथा ख0 नं0 408 रकबा 3 बीघा भूमि ग्राम गरजनी मे कुल 8 बीघा 05 बिस्वा भूमि अपीलार्थी को संभलाई गई है। उक्त केचमेंट के दौरान ही सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट कर भूमि का रकबा "बीघा बिस्वा" से हैक्टेयर प्रणाली मे दर्ज कर नया ख0 नं0 58 रकबा 1.28 है0 एवं ख0 नम्बर 66 रकबा 0.08 है0 बनाये गये जो ग्राम बालापुरा मे ही स्थित है जिसका राजस्व रिकार्ड मे अमल हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह भी अभिलिखित किया है कि मौके पर खेतो मे केचमेंट हो जाने से मौके पर तो खेत केंचमेंट के रेकार्ड नक्शानुसार स्थित है, लेकिन जमाबंदी मे सेटलमेंट के बाद रेकार्ड हेक्टेयर प्रणाली है इस प्रकार खेत के मौके का रिकार्ड केचमेंट के नक्शा अनुसार एवं वर्तमान जमाबंदी सेटलमेंट के अनुसार अलग–अलग दर्शाता है। ऐसी स्थिति मे जब तक केचमेंट का अमल वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे नही हो जाता तब तक मौके पर भूमि का सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उसको केचमेंट विभाग द्वारा सामान्य कटौती 12 बिस्वा की जाकर पूर्व रेकार्ड के मुकाबले 15 बिस्वा भूमि कम दी गई है। इस संबध मे उसका यह भी तर्क रहा है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 26.11.2000, 20.7.04 एवं तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 25.7.04 व 21.4.01 से भी मौके पर आराजी 15 बिस्वा कम है। विद्वान जिला कलक्टर बूंदी ने भी अपने जेरअपील निर्णय मे विवेचना मे ग्राम बालापुरा तह0 के0 पाटन मे केचमेंट कार्य एवं सेटलमेंट कार्य एक साथ ही सम्पन्न हो जाने से राजस्व रिकार्ड मे भिन्नता आने से अपीलार्थी को संशय होना प्रकट होना वर्णित करते हुये केचमेंट का वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही होने से समुचित सीमाज्ञान के अभाव मे अपीलार्थी का कथन प्रमाणित नही मानते हुये प्रार्थना पत्र को जेरअपील निर्णय दिनांक 15.4.2019 से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अभिमत न्यायोचित नही ठहराया जा सकता, क्योंकि राजस्व रिकार्ड मे केचमेंट का अमल दरामद करने का दायित्व संबधित विभाग एंव कर्मचारी/अधिकारीगण का है तथा खातेदार अपनी भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होता है। ऐसी स्थिति मे समुचित सीमाज्ञान के अभाव मे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायसंगत नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 15.4.2019 गलत, अनुचित, खिलाफ कानून होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

8. परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.4.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार आईएलआर एवं पटवारी की संयुक्त टीम का गठन किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी की पैमाईश की जाकर अपीलार्थी का कमी रकबा अन्य किस ख0 नं0, रकबे मे शामिल हुआ है वस्तुस्थिति की जानकारी कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।

9 निर्णय आज दिनांक 18.1..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/1/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा